BANDA POLICE

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मटौंध पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा व चोरी किया हुआ माल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.06.2025 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा सोलर प्लेट, बैट्री व गढ्ढा खोदने वाली मशीन चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के स्वराज कालौनी निवासी नरेन्द्र कुमार द्वारा थाना मटौंध पर सूचना दी कि दिनांक 02.06.2025 को उसके खेत में लगे सोलर प्लेट, बैट्री व गढ्ढा खोदने वाली मशीन चोरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा थे। इसी क्रम में आज दिनांक 08.06.2025 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों को ग्राम इन्द्रापुरवा मोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछताछ में पता चला कि इनका एक और साथी हरिकरन उर्फ भाऊ पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम इन्द्रापुरवा मजरा दुरेंडी थाना मटौंध जनपद बांदा चोरी में संलिप्त था। उपरोक्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वांछित/फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

बरामदगी-

- 01अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 06 सोलर प्लेटें (चोरी की)
- 01 गढ्ढा खोदने वाली मशीन (चोरी की)
- 01 बैट्री (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बिन्देश्वरी वर्मा पुत्र कलुआ वर्मा निवासी ग्राम दुरेंडी थाना मटौंध जनपद बांदा।
2. राकेश निषाद उर्फ मैनी पुत्र कल्लू निषाद निवासी ग्राम दुरेंडी थाना मटौंध जनपद बांदा।
3. चुन्नू अनुरागी पुत्र सुदामा अनुरागी निवासी ग्राम दुरेंडी थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 124/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मटौंध श्री संदीप कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार शर्मा
3. हे0कां0 विमल मिश्र
4. कां0 आदित्य अवस्थी
5. का0 अश्वनी उपाध्याय